ई-ऑफिस पत्रावली संख्या-1740294
संख्या-101/2023/4710/नौ-5-2023/001-Com.No.1740294

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) राज्य मिशन निदेशक(अमृत),नगरीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
(2) निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ० प्र० लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 30 अगस्त, 2023

विषय:- अमृत योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त सैप-III के केन्द्रांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अनुसचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-K-16015/13/2017-AMRUT-II/AMRUT-1B, दिनांक 24-08-2023 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अटल मिशन फार रिजूवनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफारमेंशन (अमृत) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त सैप-।।। के केन्द्रांश की धनराशि रू० 46020.50 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अमृत योजना के नगर निगम के केन्द्रांश मद में उपलब्ध धनराशि रूपये 13964.42 लाख एवं अमृत योजना के नगर पालिका परिषद के केन्द्रांश मद में उपलब्ध धनराशि रूपये 18430.23 लाख, कुल धनराशि **रूपयें 32394.65 लाख (रूपये तीन अरब तेईस करोड़ चौरानवे लाख पैंसठ हजार मात्र)** निम्नांकित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त करते हुये आपके निर्वतन पर रखे जाने पर राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत धनराशि निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा कोषागार से आहरित कर स्टेट मिशन डायरेक्टर (अमृत योजना) के पदनाम से खुले राष्ट्रीकृत बैंक में स्टेट नोडल खाते में रखी जायेगी एवं इस संबंध में जारी शासनादेशों के सापेक्ष अवमुक्त की जायेगी।
(2) प्रश्नगत धनराशि का व्यय अमृत योजना के अन्तर्गत स्वीकृत उन्हीं कार्यो पर किया जायेगा, जिसके लिए स्वीरकृति दी जायेगी। उक्त स्वीकृत धनराशि किसी अन्य कार्य पर व्यय नहीं की जायेगी।
(3) उक्त धनराशि का व्यय अटल मिशन फार रिजूवनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफारमेशन (AMRUT) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तो प्रतिबन्धों , दिशा-निर्देशों एवं गाइड लाइन के अनुसार किया जायेगा।
(4) इस संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय संख्या,- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(5) राज्य मिशन निदेशक,अमृत द्वारा सेन्टेज चार्जेज, निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से संबंधित वित्तीय प्रबंधन संबंधी वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 तथा शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-60दस/20-2023-17(4)/75, दिनांक 19 मई, 2023 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्रावधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2217051910103 (अटल मिशन फार रिजूवनेशन एण्ड अरबन ट्रान्शफारमेशन के अन्तर्गत सहायता (के.33.33/रा.36.67/-नि.30))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	037	2217051910103 (अटल मिशन फार रिजूवनेशन एण्ड अरबन ट्रान्शफारमेशन के अन्तर्गत सहायता	35 (पूँजीगत परिसम्पत्तियों के	1,39,64,42,000 रुपये एक अरब उनतालीस करोड़ चौंसठ लाख बयालीस

	(के.33.33/रा.36.67/-नि.30))	सृजन हेतु अनुदान)	हजार मात्र
	कुल		**1,39,64,42,000 (रुपये एक अरब उनतालीस करोड़ चौंसठ लाख बयालीस हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2217051920103 (अटल मिशन फार रिजूवनेशन एण्ड अरबन ट्रान्सफारमेशन के अन्तर्गत सहायता (के.50/रा.30/नि.20))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	037	2217051920103 (अटल मिशन फार रिजूवनेशन एण्ड अरबन ट्रान्सफारमेशन के अन्तर्गत सहायता (के.50/रा.30/नि.20))	35 (पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान)	1,84,30,23,000 रुपये एक अरब चौरासी करोड़ तीस लाख तेईस हजार मात्र
		कुल		**1,84,30,23,000 (रुपये एक अरब चौरासी करोड़ तीस लाख तेईस हजार मात्र)**

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न यू0ओ0 संख्या– E-9-185-X-2023-24 दिनांक: 30-08-2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
30.08.2023
(कल्याण बनर्जी),
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-101/2023/4710 /नौ-5-2023/001-Com.No.1740294, तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2- महालेखाकार(वर्क्स लेखा अनुभाग) उत्तर प्रदेश प्रयागराज ।
3- संयुक्त सचिव, भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
4- मिशन निदेशक (अमृत), शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन कोषागार, लखनऊ।
7- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश प्रयागराज ।
8- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
9- अपर परियोजना निदेशक, क्षेत्रीय एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, उ0प्र0 लखनऊ।
10- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
12- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,
30.08.2023
(कल्याण बनर्जी),
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।